



50

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल गवालियर केम्प उज्जैन जिला उज्जैन म.पु.
प्रकरण कुंमाक /2016 निगरानी अंग 435 - III-16

प्र.
द्वारा द्वारा
दिनांक
५/१/१६
आमना सम्मत
उत्तरीन

भाषक श्री विनोद पी.।
विनोद पी.।
आमना सम्मत
उत्तरीन

अमुन अमुन
रुप प्रसाद
१३-१६

23/
३/१/१६

- 1- ऊकारसिंह पिता उमरावसिंह राजपूत उमे 50
साल लगभग छैटा-छेती निवासी ग्राम सगवाल
तहसील महिदपुर जिला उज्जैन म.पु.।
- 2- मोहनसिंह पिता उमरावसिंह राजपूत उमे 45
वर्ष छैटा-छेती निवासी ग्राम सगवाली तहसील
महिदपुर जिला उज्जैन म.पु.।

आवेदकगण

विस्तृ

- 1- गोरखनसिंह पिता भगवानसिंह राजपूत उमे-48
वर्ष छैटा-छेती निवासी ग्राम सगवाली तहसील
महिदपुर जिला उज्जैन म.पु.।
- 2- गोकुलसिंह पिता रत्नसिंह राजपूत उमे-70
वर्ष छैटा-छेती निवासी ग्राम सगवाली तहसील
महिदपुर जिला उज्जैन म.पु.।
- 3- श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील महिदपुर
जिला उज्जैन म.पु.।

आवेदकगण

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील महिदपुर जिला उज्जैन की
न्यायालय का राजस्व प्रकरण कुंमाक 7अ/2/2015-16 में पारित आदेश के
माध्यम से का गई नप्ती दिनांक 06/12/2015 को चुनौती देने हेतु
निगरानी शंतर्गत धारा 50 म.पु.म. रा. संहिता -

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत है-

:- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

(50)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-435-तीन/16

जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/11/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(3) ✓</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p> <p>M</p>	